प्रेषक,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 04 फरवरी, 2020

विषय- प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34527/आधु0-01/किचन/2019, दिनांक-28 नवम्बर 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में स्थापित पाकशालाओं का मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किये जाने हेतु 10 कारागारों में 50 किलोग्राम आटा गूंथने की 11 मशीन, 03 कारागारों में 1000 रोटी प्रति घंटा क्षमता की 03 मशीन, 14 कारागारों में 3000 रोटी प्रति घंटा क्षमता की 14 मशीन, 5 कारागारों में 5000 रोटी प्रति घंटा क्षमता की 06 मशीन, 15 अदद भोजन वितरण ट्राली, 200 लीटर क्षमता की 41 अदद स्टील भगोने, 12 कारागारों में 200 लीटर क्षमता के 12 अदद टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन, 10 कारागारों में 300 लीटर क्षमता के 11 अदद टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन, 12 कारागारों हेतु 13 अदद 03 कम्पार्टमेंट की बेनमेरी की व्यवस्था तथा हैवी स्टेप्लाइजर, इलेक्ट्रिक पैनल एवं अर्थिंग की व्यवस्था हेतु रू0 392.21 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त कार्य हेतु निम्न विवरणानुसार शतप्रतिशत धनरशि रू0 3,92,21,000/-(रूपये तीन करोड़ बान्नवे लाख इक्कीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	उपकरण का नाम	क्षमता	आच्छादित कारागारें	उपकरणों की संख्या	लागत प्रति यूनिट	कुल लागत
1	आटा गूथने की मशीन	50 कि0 ग्रा0	10	11	60,000	6,60,000
2	चपाती मेकर विद पेडा कटर मशीन	1000 रोटी प्रति घण्टा	3	3	6,21,000	18,63,000
3	चपाती मेकर विद पेडा कटर मशीन	3000 रोटी प्रति घण्टा	14	14	10,81,800	1,51,45,200
4	चपाती मेकर विद पेडा कटर मशीन	5000 रोटी प्रति घण्टा	5	6	19,48,000	1,16,88,000
5	भोजन वितरण ट्राली	हैवी व्हील	12	15	37,200	5,58,000
6	भगौना एसएस	200 लीटर	20	41	19,800	8,11,800
7	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन	200 लीटर	12	12	1,21,600	14,59,200
8	टिल्टिंग ब्रेसिंग पेन	300 लीटर	10	11	1,49,800	16,47,800

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	हैवी स्टेब्लाइजर	150 केवीए	22	23	71,000	16,33,000
10	पैनल व अर्थिंग	(पूर्ण कार्य)	22	23	82,000	18,86,000
11	03 कम्पार्टमेन्ट का बैन मैरी	200 लीटर	12	13	1,44,000	18,72,000
			योग-	**172**	**-**	**3,92,24,000**
					बजट में उपलब्ध धनरशि रू0	**392,21,000**

(क) उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(ख) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम **उद्यम** विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

(घ) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(ड़) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसका उपयोग उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत पूंजी लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-21-कारागारों के पाकशालाओं का आधुनिकीकरण-26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण एवं संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्रावधान से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019-बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रताप पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-05/2020/1073(1)/22-4-2019-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in